संख्याः 2703 / उन्तीस / 04–2(13घो0) / 2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादनः दिनांकः 01 जनवरी, 2005

विषय जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 3821/मुख्य मंत्री घोषणा/ दिनांक–19.10.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कुल 33 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 60.43 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि सेन्टेज चार्जेज सहित रू0 42.08 लाख (रू0 बयालिस लाख आठ हजार मात्र) की लागत के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु रू0 42.08 लाख (रू0 बयालिस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर संलग्न बी0एन0–15 में दिये गये विवरणानुसार पुर्नविनियोजन के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

क्रमशः 2

(4) एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय की जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(9) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(10) स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर सैन्टेज व्यय कुल लागत के सापेक्ष 12.5 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इसका कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि 12.5 प्रतिशत से अधिक सैन्टेज व्यय लिया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2 प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून स्थित कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा आहरण के तुरन्त बाद बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को उपलबध कराई जायेंगी।

3 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थानो का चयन जिलाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। तथा ऐसे स्थानों पर ही हैण्डपम्प अधिष्ठापन करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर पेयजल का अभाव है तथा वास्तविक रूप से जनता को पेयजल का लाभ प्राप्त हो सके।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

5– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इसी स्तर के निगम के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः 3

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–91–हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन–20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2235/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–2703 (1)/उन्तीस/04–2(13 घो0) 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2– मुख्य अभियन्ता ,उत्तरांचल पेयजल निगम,पौडी।
3– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल ।
4– जिलाधिकारी, देहरादून ।
5– मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ट ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

बीएम–15 पुर्नविनियोग 2003–04

आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी– प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम

प्रशासनिक विभाग– पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

(रू0 हजार में)

संविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार आरक्षित/मूल स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7
2215–जलपूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई		
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				01–जलपूर्ति–आयोजनागत		
102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम		
07–अन्तर्राष्ट्रीय सहायता/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				05–नगरीय पेयजल		
				01–टैंकरों का अधिग्रहण		
05–स्वजल विश्व बैंक पाइलेट प्रोजेक्ट (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)				20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 4,18,31	–	–	41631(?)	4208(?)	12,54.80	3,76,23
योग– 4,18,31	–	–	41831	4208	12,54.80	3,76,23

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या 2235(क)वित्त अनु0–3/2004
देहरादून : दिनांक 24 दिस0 2004

पुर्नविनियोग स्वीकृत
ह0
(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 2703 (1)/उनीस/04–2–(13पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–कोषाधिकारी,देहरादून । 2 वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल

4 जिलाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा से
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव